

उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा।

(जिला पंचायत राज शाखा)

—:: आम सूचना ::—

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत राज), झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या—395 / पं० दिनांक—19.02.2021 एवं पत्रांक—447 दिनांक—25.02.2021 के आलोक में 15वें वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत अनुमान्य अनिवार्य गतिविधियों के संचालन के निमित्त पंचायत अन्तर्गत में ग्रामीणों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पंचायतों में कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा प्राप्त करने हेतु जिला स्तरीय पैनेल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से निम्न सेवाओं के लिए आवेदन आमंत्रित की जाती है:—

क्र०	सेवा का नाम	अधिकतम मासिक देय राशि	पद की संख्या	आरक्षण वर्ग				
				ST	SC	BC-I	BC-II	UR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कनीय अभियंता	17,000/-	12	04	01	01	0	06
2	लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर	10,000/-	24	08	02	01	01	12

ग्राम पंचायतों द्वारा सेवा अनुबंध हेतु कर्मियों के चयन हेतु जिला स्तर पर अभ्यर्थियों का एक पैनेल तैयार किया जाएगा जिसमें अंकित अभ्यर्थियों में से ग्राम पंचायत योग्य अभ्यर्थी के साथ सेवा अनुबंध कर सकेगी।

2. कनीय अभियंता :

(क) आरक्षण निति :

कनीय अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

(ख) शैक्षणिक योग्यता :

- (i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत अंको के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत होगा।
- (ii) वांछनीय योग्यता : संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता।

(ग) उम्र सीमा :

कनीय अभियंता के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जायेगी।

वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो उन्हें उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

(घ) चयन की प्रक्रिया :

- I. जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- II. चयन शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं विषय के ज्ञान संबंधी जाँच परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

(च) मेघा सूची तैयार करने की पद्धति :

- (a) सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की रिति में आरक्षणवार रिक्तियों की तीन गुणा अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेघा सूची तैयार की जायेगी। प्रारंभिक मेघा सूची कंडिका छ-1 में अंकित मापदण्ड के आधार पर अनिवार्य, वांछनीय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के कुल प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जायेगी।

- (b) उपरोक्त प्रारंभिक मेघा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को विषय (अभियंत्रण) ज्ञान हेतु जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
- (c) अंतिम मेघा सूची में पदवार रिक्ति का दो गुणा नाम पैनेल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। पदों में एक साल के अन्दर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।
- (d) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेघा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी। स्थानीयता में समानता होने की दशा में लोटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

(छ) मूल्यांकनः

I. अभ्यर्थियों का मुल्यांकन 100 अंकों पर किया जायेगा जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा:-

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	विषय ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

II. विषय ज्ञान संबंधी जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

IV. अनुभव का तात्पर्य है 14th FC में कार्य करने का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

3. लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर :

क—आरक्षण निति :

लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

ख—शैक्षणिक योग्यता :

- (i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी0कॉम/बी0एस0सी0 (गणित/सांख्यिकी)/बी0ए0 (गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत होगा।
- (ii) वांछनीय योग्यता एवं अनुभव— संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।

ग—उम्र सीमा :

लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जायेगी।

वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो उन्हें उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

घ—चयन की प्रक्रिया :

- I. जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

II. चयन शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं कम्प्यूटर जाँच के अंकों के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

च— मेघा सूची तैयार करने की पद्धति :

- (a) सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में आरक्षणवार रिक्तियों की तीन गुणा अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेघा सूची तैयार की जायेगी। प्रारंभिक मेघा सूची अनिवार्य, वांछनीय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के कुल प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जायेगी।
- (b) उपरोक्त प्रारंभिक मेघा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर ज्ञान हेतु जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
- (c) अंतिम मेघा सूची में पदवार रिक्ति का दो गुणा नाम पैनेल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। पदों में एक साल के अन्दर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।
- (d) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेघा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी। स्थानीयता में समानता होने की दशा में लोटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

छ— मूल्यांकन:

I. अभ्यर्थियों का मुल्यांकन 100 अंकों पर किया जायेगा जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा:-

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	कम्प्यूटर ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

II. कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

IV. लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में चयन हेतु अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकन में क्रमशः न्यूनतम 25 एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी।

V. अनुभव का तात्पर्य है 14th FC में कार्य करने का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

4. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :

- (a) पैनेल में चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे जिसे जिले के वेबसाईट www.jamtara.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
- (b) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग—अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग—अलग शुल्क जमा करना होगा।

(c) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा जो निम्नवत होगा:-

क्र०	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	कनीय अभियंता	500/-	सामान्य/पिछड़ा वर्ग (BC-2)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-1)
		300/-	अनुसूचित जन जाति (ST)/अनुसूचित जाति (SC)/महिला
2	लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर	500/-	सामान्य/पिछड़ा वर्ग (BC-2)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-1)
		300/-	अनुसूचित जन जाति (ST)/अनुसूचित जाति (SC)/महिला

(d) आवेदन पत्र के साथ अनुमान्य आवेदन शुल्क की राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक उपायुक्त, जामताड़ा के पदनाम से जमा करना होगा, जो जामताड़ा में भुगतेय हो।

(e) आवेदन पत्र उपायुक्त, जामताड़ा (जिला पंचायत राज कार्यालय) को संबोधित विभागीय ई—मेल dprojmt2@gmail.com पर भी जमा किया जा सकता है, परन्तु आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्राप्ति प्रति एवं दो अतिरिक्त लिफाफे (25.00 रुपये का डाक टिकट के साथ) पर आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पत्राचार का पता, आवेदित पद का नाम साफ—साफ अक्षरों में अंकित होना चाहिए।

(f) आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि दिनांक—17.03.2021 से 23.03.2021 तक निर्धारित है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. सेवा अनुबंध पर कार्य लेने हेतु शर्तें निम्नवत होगी:-

- चयन समिति केवल पैनल में नाम हेतु अनुशंसा करेगी।
- चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रखण्ड एवं पंचायत के चयन के संबंध में उपायुक्त के स्तर से निर्णय लिया गया जा सकेगा। उपायुक्त के स्तर से पंचायतों का कलस्टर तैयार किया जायेगा।
- चयनित अभ्यर्थियों से प्रखण्ड एवं पंचायतों के कलस्टर हेतु विकल्प मांगा जाएगा। योग्यता सह विकल्प (Merit cum Choice) के आधार पर प्रखण्ड एवं पंचायत का कलस्टर अभ्यर्थी को कर्णाकित किया जायेगा।
- कर्णाकित अभ्यर्थियों में से कनीय अभियंता का सेवा अनुबंध संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी—सह—सचिव, पंचायत समिति करेंगे तथा लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर का अनुबंध संबंधित पंचायत कलस्टर के सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा किया जायेगा।
- सेवा अनुबंध प्रारम्भ में एक वर्ष के लिये किया जायेगा। एक वर्ष के पश्चात उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी जिसके आधार पर सेवा की आवश्यकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर एक—एक वर्ष के लिए सेवा अनुबंध का नवीकरण किया जा सकेगा किन्तु सेवा अनुबंध सिर्फ 15वें वित्त आयोग की अवधि तक के लिए ही अनुमान्य होगा। किसी परिस्थिति में इसे 15वें वित्त आयोग की अवधि के पश्चात् की अवधि के लिए नवीकरण नहीं किया जायेगा।
- सेवा अनुबंध का वार्षिक नवीकरण सेवा की आवश्यकता, कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी सेवा अनुबंध स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

- vii. उपर्युक्त अवधि में सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्थाओं इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही पंचायत द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में संवेदक अथवा किसी अन्य रूप में कार्य करने अथवा निविदा में भाग लेने की अनुमति संबंधित कर्मी अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों को नहीं होगी।
- viii. यदि कोई कार्यरत कर्मी सेवा अनुबंध से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो संबंधित पंचायत को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह कि परिलक्ष्य जामा करनी होगी। इसके विपरित यदि कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलक्ष्य देकर सेवा अनुबंध समाप्त किया जायेगा।
- ix. चयनित कर्मी का कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर संबंधित पंचायत सचिव एवं मुखिया संयुक्त रूप से उसे कार्य मुक्त करने का स्पष्ट कारणों के साथ अनुशंसा उपायुक्त को उपलब्ध करायेंगे जिस पर उपायुक्त, जामताड़ा के द्वारा निर्णय लिया जायेगा। किन्तु निर्णय लेने के पूर्व संबंधित कर्मी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जायेगा।
- x. सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी के विरुद्ध किसी प्रकार का शिकायत/परिवाद प्राप्त होने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर से आवश्यक जाँच परिवाद प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित उपायुक्त को प्रेषित किया जायेगा। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक पक्ष के अन्दर उपायुक्त निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे।
- xi. सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी को सेवा अनुबंध के विरुद्ध निर्धारित राशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का मानदेय अथवा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- xii. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश सेवा अनुबंध कर्मियों को देय होगा।

E6/

उपायुक्त,
जामताड़ा।

ज्ञापांक *96* / जिरपं० दिनांक *16.03.2021*

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को जिला के वेबसाइट पर ऑपलोड (Upload) करना सुनिश्चित करें।

*उपायुक्त,
जामताड़ा।*

ज्ञापांक *96* / जिरपं० दिनांक *16.03.2021*

प्रतिलिपि:- निदेशक-सह-संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

*उपायुक्त,
जामताड़ा।
16/3/2021*

आवेदन पत्र (ए-४ साईज पेपर में मुदित)

1. सेवा जिसके लिए आवेदन समर्पित किया जा रहा है :—

2. आवेदक का नाम :—

(हिन्दी एवं अंग्रेजी में)

स्व
अभिप्रामाणित
फोटो

3. पिता/पति का नाम :—

4. आरक्षण कोटि :—

(सक्षम स्तर से निर्गत स्थानीयता, जाति, आय एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न की जाय)

5. जन्म तिथि :—

6. पत्राचार का पता :—

7. स्थायी पता :—

8. राष्ट्रीयता :—

9. मोबाइल नं०—

10. ई— मेल :—

11. शैक्षणिक योग्यता :—

परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	परीक्षा के विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत

(शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रामाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)

12. अनुभव एवं नियोजनों का विवरण यदि हो :—

पद का नाम	स्थायी/अस्थायी/संविदा/अन्य	पदग्रहण की तिथि	पदत्याग की तिथि	नियोजक का नाम एवं पूरा पता
1				
2				
3				

(नियोजन अवधि में मानदेय भुगतान से संबंधित विवरणी एवं प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)

13. उम्मीदवार का पहचान चिन्हः—

14. आवेदन शुल्क भुगतान संबंधी विवरणी :-

15. आवेदन के साथ संलग्न अनुलग्नकों की सूची :-

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

16. मैं घोषित करता हूँ कि :-

- (क) इस आवेदन में दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।
- (ख) मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र मांग करने पर प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।
- (ग) यदि परीक्षा से पूर्व या पश्चात् किसी समय कोई सूचना गलत या असत्य पायी जाएगी तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है एवं मेरे विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान एवं दिनांक:-

उम्मीदवार का हस्ताक्षर